



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102023-249115  
CG-DL-E-03102023-249115

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249]  
No. 249]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 30, 2023/ अश्विन 8, 1945  
NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 30, 2023/ ASVINA 8, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2023

मामला संख्या: ए डी (ओआई) -16/2023

विषय: चीन जन. गण., कोरिया गण., मलेशिया, नॉर्वे, ताइवान और थाईलैंड में मूलतः अथवा वहां से निर्यातित "पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट राल" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 06/17/2023-डीजीटीआर.—मेसर्स केमप्लास्ट सनमार लिमिटेड (इसके बाद 'आवेदकों' के रूप में संदर्भित) द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित किए गए लेखों पर पाटन रोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह और 1995, समय-समय पर संशोधित (इसके बाद 'एडी नियम' के रूप में संदर्भित) के अनुसार चीन जन.गण., कोरिया गण., मलेशिया, नॉर्वे, ताइवान और थाईलैंड (बाद में 'संबद्ध देशों के रूप में संदर्भित) में उत्पन्न होने वाले या वहां से निर्यात किए गए "पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट राल" (बाद में 'विषय वस्तुओं' के रूप में संदर्भित) के आयात पर पाटन रोधी जांच शुरू करने की मांग करता है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबंधित देशों से उत्पन्न या निर्यात किए गए कथित पाटित किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग को सामग्री को नुकसान हो रहा है और संबंधित देशों से विषय वस्तुओं के आयात पर पाटन रोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

#### **क. विचाराधीन उत्पाद**

3. विचाराधीन उत्पाद 'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट राल' है जिसे इमल्शन पीवीसी राल के रूप में भी जाना जाता है।

4. पीवीसी पेस्ट राल का उत्पादन विनाइल क्लोराइड मोनोमर का उपयोग करके किया जाता है और आमतौर पर सफेद / ऑफ-व्हाइट पाउडर के रूप में बेचा जाता है। विचाराधीन उत्पाद का उपयोग मुख्य रूप से कृत्रिम चमड़े के निर्माण के लिए किया जाता है और उत्पाद के अन्य उपयोग रेक्सन, लेपित कपड़े, तिरपाल, कन्वेयर बेल्टिंग, खिलौने, मोटर वाहन सीलेंट, चिपकने वाला और दस्ताने के निर्माण में होते हैं।

5. निम्नलिखित उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है

क. 60K से कम K मान के साथ विचाराधीन उत्पाद

ख. पीवीसी सम्मिश्रण राल

ग. पीवीसी पेस्ट राल के सह-पॉलिमर।

घ. बैटरी विभाजक रेजिन

6. विचाराधीन उत्पाद को टैरिफ वर्गीकरण के उपशीर्षक 390410 के तहत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 के तहत वर्गीकृत किया गया है और 39041010 के तहत एक समर्पित वर्गीकरण है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और प्रस्तावित जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

7. वर्तमान जांच के पक्षकार पीयूसी पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं और प्राधिकरण के समक्ष दायर आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रसार के 15 दिनों के भीतर पीसीएन, यदि कोई हो, का प्रस्ताव कर सकते हैं, जैसा कि इस जांच शुरूआत अधिसूचना के पैराग्राफ 29 में दर्शाया गया है।

#### **ख. समान वस्तु**

8. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा उत्पादित विषय वस्तुएं और विषय देशों से आयातित विषय वस्तुएं वस्तुओं की तरह हैं। विषय देशों से निर्यात की जाने वाली विषय वस्तुओं और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित और विषय देशों से आयातित डिजिटल प्लेटें भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन और टैरिफ वर्गीकरण जैसे आवश्यक उत्पाद विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का उपयोग कर सकते हैं और परस्पर उपयोग कर रहे हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से अधीन हैं और इसलिए नियमों के तहत 'जैसे लेख' के रूप में माना जाना चाहिए। इसलिए वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए, याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित विषय वस्तुओं को विषय देशों से आयात किए जा रहे विषय वस्तुओं के लिए 'जैसे लेख' के रूप में माना जा रहा है।

#### **ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति**

9. आवेदक के अलावा भारत में एक अन्य निर्माता है यानी फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसने आवेदक द्वारा दायर तत्काल आवेदन का समर्थन किया है। आवेदक और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत में विचाराधीन उत्पाद के केवल दो उत्पादक हैं। जैसा कि प्रस्तुत किया गया है उनका उत्पादन भारत में कुल घरेलू उत्पादन का 100% है। आवेदक ने आगे कहा है कि उसने संबंधित देशों से पीयूसी का आयात नहीं किया है और यह संबंधित देशों में किसी भी निर्यातक या भारत में किसी भी आयातक से संबंधित नहीं है।

10. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण नोट करता है कि आवेदक एडी नियमों के नियम 2 (बी) के अर्थ के भीतर 'घरेलू उद्योग' का गठन करता है और आवेदन एडी नियमों के नियम 5 (3) के संदर्भ में खड़े होने के मानदंडों को पूरा करता है।

#### **घ. संबद्ध देश**

11. वर्तमान जांच के लिए विषय देश चीन जन. गण., कोरिया गण., मलेशिया, नॉर्वे, ताइवान और थाईलैंड है।

**ड जांच की अवधि**

12. वर्तमान समीक्षा जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल 2022 से मार्च 2023 (12 महीने) तक है। क्षति जांच की अवधि 1 अप्रैल 2019 - 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2020 - 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022 और पीओआई तक है।

**च. प्रक्रिया**

13. इस जांच में पाटन रोधी नियमों के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

**छ. कथित पाटन के लिए आधार****चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य**

14. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए कि विषय वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल है। जब तक चीन जन. गण. के उत्पादक यह नहीं दिखाते हैं कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल है तब तक उनके सामान्य मूल्य को पाटनरोधी नियम, 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

15. इसलिए जांच शुरू करने के उद्देश्य से आवेदक की उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया गया है जो उचित लाभ मार्जिन के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के साथ विधिवत समायोजित है।

**कोरिया गण., मलेशिया, नॉर्वे, ताइवान और थाईलैंड सामान्य मूल्य**

16. आवेदक ने आवेदक के उत्पादन की लागत के आधार पर विषय देशों के लिए सामान्य मूल्य की गणना करने का प्रस्ताव दिया, विषय देशों में लागतों को प्रतिबिंबित करने के लिए सामग्री, उपयोगिताओं और श्रम के लिए विधिवत समायोजित किया।

17. प्राधिकरण ने प्रथम दृष्टया कोरिया गण., मलेशिया, नॉर्वे, ताइवान थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्यों को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और उचित मुनाफे के लिए विधिवत समायोजित आवेदक की उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया है।

**निर्यात मूल्य**

18. डीजीसीआईएस द्वारा उपलब्ध कराए गए लेनदेन-वार आयात आंकड़ों पर विचार करके संबंधित देशों से विषय वस्तुओं के निर्यात मूल्य का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद प्राधिकरण ने निवल निर्यात मूल्य पर पहुंचने के लिए आवश्यक समायोजन किए हैं।

**पाटन मार्जिन**

19. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना एक्स-फैक्ट्री स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया स्थापित करता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है और संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद को संबंधित देश के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाटित किया जा रहा है।

**ज. क्षति और कारणात्मक संबद्ध**

20. आवेदक ने पाटित किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग को हुए नुकसान के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान किए हैं। विषय देशों से विषय आयात की मात्रा पूर्ण और साथ ही सापेक्ष रूप से महत्वपूर्ण है। आवेदक का तर्क है कि विषय आयात का घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण नकद लाभ, पीबीआईटी और आरओसीई में बहुत महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है। समग्र रूप से विषय देशों से कीमतों में कटौती सकारात्मक है। पाटित किए गए आयातों के कारण कीमतों में कमी और मंदी घरेलू उद्योग को पूरी लागत वसूलने और उचित वापसी दर प्राप्त करने के लिए अपनी कीमतें बढ़ाने से रोक रही है। पिछले वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग के इन्वेंट्री स्तर में भी वृद्धि हुई है।

**झ. पाटन रोधी जांच की शुरुआत**

21. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर और आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संबंधित देशों में उत्पन्न या निर्यात किए गए उत्पाद के पाटन के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत

प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, विषय वस्तुओं की कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी नुकसान और इस तरह की क्षति और पाटन किए गए आयात के बीच कारण संबंध और अधिनियम की धारा 9 ए के अनुसार जिसे एडी नियमों के नियम 5 के साथ पढा जाता है, प्राधिकरण इसके द्वारा संबंधित देशों में उत्पन्न या निर्यात किए जाने वाले विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव को निर्धारित करने और पाटन रोधी शुल्क की उचित राशि की सिफारिश करने के लिए एक पाटन रोधी जांच शुरू करता है। जो यदि लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

#### **ज. सूचना प्रस्तुत करना**

22. निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले सभी पत्र ई-मेल पत्तों [dd11-dgtr@gov.in](mailto:dd11-dgtr@gov.in) और [dd16-dgtr@gov.in](mailto:dd16-dgtr@gov.in) पर तथा उनकी एक प्रति [adg14-dgtr@gov.in](mailto:adg14-dgtr@gov.in) और [adv13-dgtr@gov.in](mailto:adv13-dgtr@gov.in) को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

23. संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबंधित देश की सरकार और भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं, जो विषय वस्तुओं से जुड़े होने के लिए जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर सकें। ऐसी सभी जानकारी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित फॉर्म और तरीके से दायर की जानी चाहिए।

24. कोई अन्य इच्छुक पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिसों द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से इस दीक्षा अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संबंधित एक प्रस्तुति दे सकता है।

25. प्राधिकरण के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति देने वाले किसी भी पक्ष को अन्य इच्छुक पक्षों को इसका एक गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है।

26. इच्छुक पार्टियों को आगे निर्देशित किया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखते रहें और जानकारी के साथ-साथ आगे की जाँच पड़ताल प्रक्रियाओं से अवगत रहें।

#### **ड. समय सीमा**

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पत्तों [dd11-dgtr@gov.in](mailto:dd11-dgtr@gov.in) और [dd16-dgtr@gov.in](mailto:dd16-dgtr@gov.in) तथा [adg14-dgtr@gov.in](mailto:adg14-dgtr@gov.in) और [adv13-dgtr@gov.in](mailto:adv13-dgtr@gov.in) को एक प्रति के साथ प्राधिकारी द्वारा आवेदक के आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण को परिचालित किए जाने अथवा एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

28. सभी इच्छुक पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे तत्काल मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) बताएं और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के जवाब दाखिल करें।

29. जहां कोई इच्छुक पक्ष प्रस्तुतियाँ दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है उसे एडी नियम, 1995 के नियम 6(4) के संदर्भ में ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रदर्शित करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आना चाहिए।

#### **ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

30. जहां वर्तमान में कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है या प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना देता है, वहां उसे एडी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी की गई संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

31. ऐसे अनुरोध पर प्रत्येक पृष्ठ पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी को किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी।
32. गोपनीय संस्करण में वह सभी जानकारी शामिल होगी जो प्रकृति से, गोपनीय और / या अन्य जानकारी है, जिसे ऐसी जानकारी का आपूर्तिकर्ता गोपनीय के रूप में दावा करता है। ऐसी जानकारी के लिए जिसे प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया जाता है, या जिस जानकारी पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, सूचना के आपूर्तिकर्ता को प्रदान की गई जानकारी के साथ एक अच्छा कारण विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।
33. हितबद्धपक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को अनिवार्य रूप से गोपनीय अंश की अनुकृति होना चाहिए जिसमें "गोपनीय सूचना" अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) होनी चाहिए और ऐसी सूचना को जिस सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है, उस पर निर्भर रहते हुए उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत होना चाहिए।
34. अगोपनीयसारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की पर्याप्त तर्कसंगत समझ बन सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय आधार पर सूचना देने वाला पक्षकार इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के स्तर तक एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसे कारणों को पर्याप्त और पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाला एक विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
35. इच्छुक पक्ष इस जांच शुरूआत अधिसूचना के पैराग्राफ 27 में दर्शाए गए आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण के संचलन की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।
36. नियमों के नियम 7 के अनुसार सार्थक गैर-गोपनीय संस्करण या पर्याप्त और पर्याप्त कारण विवरण के बिना किया गया कोई भी प्रस्तुतीकरण, और गोपनीयता दावे पर प्राधिकरण द्वारा जारी उचित व्यापार नोटिस को प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।
37. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध नहीं आवश्यक है या यदि जानकारी का आपूर्तिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकता है।
38. प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता की आवश्यकता को संतुष्ट होने और स्वीकार करने पर प्राधिकरण ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना किसी भी पार्टी को इसका खुलासा नहीं करेगा।
39. पंजीकृत इच्छुक दलों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी जिसमें उन सभी को अनुरोध किया जाएगा कि वे अपनी प्रस्तुतियों के गैर-गोपनीय संस्करण और अन्य जानकारी को अन्य सभी इच्छुक पक्षों को ईमेल करें।
- ड. असहयोग**
40. यदि कोई इच्छुक पक्ष इस प्रारंभिक अधिसूचना में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उचित अवधि के भीतर या अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या बाद में अलग-अलग संचार के माध्यम से प्रदान की गई समय अवधि में आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकरण ऐसे इच्छुक पक्ष को गैर-सहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है। जैसा कि यह उचित लगता है।

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department Of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2023

**Case No – AD(OI) – 16/2023****Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Poly Vinyl Chloride Paste Resin” originating in or exported from China PR, Korea RP, Malaysia, Norway, Taiwan & Thailand.**

**F. No. 06/17/2023-DGTR.**—M/s Chemplast Sanmar Limited (hereinafter referred to as the “applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ‘Authority’), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Rules’), seeking initiation of an anti-dumping investigation on imports of ‘Poly Vinyl Chloride Paste Resin’ (hereinafter referred to as the ‘product under consideration’ or ‘subject goods’ or ‘PVC Paste Resin’), originating in or exported from China PR, Korea RP, Malaysia, Norway, Taiwan & Thailand (hereinafter referred to as the “subject countries”).

2. The applicant has alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to the alleged dumped imports, originating in or exported from the subject countries and has requested for the imposition of anti-dumping duties on the imports of the subject goods from the subject countries.

**A. Product under Consideration**

3. The product under consideration is ‘Poly Vinyl Chloride Paste Resin’ also known as Emulsion PVC Resin.

4. PVC Paste Resin is produced using Vinyl Chloride Monomer and is usually sold in the form of white/off-white powder. The PUC is primarily used for manufacturing artificial leather and the other uses of the product are in the manufacturing of rexene, coated fabrics, tarpaulins, conveyer beltings, toys, automotive sealant, adhesives, and gloves.

5. The following products are excluded from the scope of PUC:

- a. Product under consideration with K value below 60K
- b. PVC Blending Resin
- c. Co-polymers of the PVC paste resin
- d. Battery separator resins

6. The product under consideration is classified under Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975 under subheading 390410 of the Tariff Classification and has a dedicated classification under ITC HS Code 39041010. The customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration for the proposed investigation.

7. The parties to the present investigation may provide their comments on the PUC and propose PCNs, if any, within 15 days of circulation of the non-confidential version of the documents filed before the Authority as indicated in paragraph 27 of this initiation notification.

**B. Like Article**

8. The applicant has submitted that there are no significant differences in the subject goods produced by the applicant and exported from the subject countries and both are like articles. The product produced by the applicant and imported from the subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & usage, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and have been using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable, and hence, should be treated as ‘like article’ under the Rules. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the article produced by the applicant has been *prima facie* considered as like article to the product being imported from the subject countries.

**C. Domestic Industry & Standing**

9. The application has been filed by M/s Chemplast Sanmar Ltd. Apart from the applicant, there is one other producer in India i.e., Finolex Industries Ltd., which has supported the instant application filed by the applicant. The applicant and Finolex Industries Ltd are the only two producers of the product under consideration in India. As submitted, their production together constitutes 100% of the total domestic production in India. The applicant has further stated that it has not imported the PUC from the subject countries and is not related to any exporters in the subject countries nor to any importers in India.

10. In view of the above, the Authority notes that the applicant constitutes 'domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the AD Rules.

#### **D. Subject Country**

11. The subject countries in the present investigation are China PR, Korea RP, Malaysia, Norway, Taiwan & Thailand.

#### **E. Period of Investigation**

12. The period of investigation (POI) for the investigation is from April 2022 to March 2023 (12 months). The injury examination period is 1<sup>st</sup> April 2019 to 31<sup>st</sup> March 2020, 1<sup>st</sup> April 2020 to 31<sup>st</sup> March 2021, 1<sup>st</sup> April 2021 to 31<sup>st</sup> March 2022, and the POI.

#### **F. Procedure**

13. The provisions stipulated in of Rule 6 of the Anti-Dumping Rules shall be followed in this investigation.

#### **G. Basis for alleged dumping**

##### **Normal Value for China PR**

14. The applicant has submitted that China PR should be treated as a non-market economy and that producers from China PR should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the subject goods. Unless the producers from China PR show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules, 1995.

15. Therefore, for the purpose of initiation of the investigation, the normal value has been constructed based on the estimates of the cost of production of the applicant duly adjusted with selling, general and administrative expenses, along with a reasonable profit margin.

##### **Normal Value for Korea RP, Malaysia, Norway, Taiwan & Thailand**

16. The applicant proposed to compute the normal value for the subject countries based on the cost of production of the applicant, duly adjusted for the materials, utilities, and labor to reflect the costs in the subject countries.

17. The Authority, for the purpose of initiation, has *prima facie* determined the normal values for Korea RP, Malaysia, Norway, Taiwan & Thailand on the basis of cost of production of the applicant duly adjusted for selling, general and administrative expenses and reasonable profits.

##### **Export Price**

18. The export price of the subject goods from the subject countries has been estimated by considering transaction-wise import data provided by DGCI&S. The Authority has, thereafter, made necessary adjustments to arrive at the net export price.

##### **Dumping Margin**

19. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin is above the *de minimis* level with respect to the subject goods imported from the subject countries. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject countries is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject countries.

#### **H. Injury and Causal Link**

20. The applicant has provided *prima facie* evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry because of the dumped imports. The volume of the subject imports from the subject countries is significant in absolute as well as relative terms. The applicant contends that the subject imports have had an adverse impact on the profitability parameters of the domestic industry due to which the cash profits, PBIT, and ROCE have registered a very significant decline. The price undercutting from the subject countries as a whole is positive. The price suppression and depression caused by dumped imports have been preventing the domestic industry from increasing its prices to recover the full cost and achieve a reasonable rate of return. There has also been an increase in the inventory levels of the domestic industry during POI as compared to the previous year.

#### **I. Initiation of Anti-Dumping Investigation**

21. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant and having reached satisfaction based on the *prima facie* evidence submitted by the applicant concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the subject goods and the causal link between such injury and the

dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

#### **J. Submission of Information**

22. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses [dd11-dgtr@gov.in](mailto:dd11-dgtr@gov.in) and [ddl6-dgtr@gov.in](mailto:ddl6-dgtr@gov.in) with a copy to [adg14-dgtr@gov.in](mailto:adg14-dgtr@gov.in) and [adv13-dgtr@gov.in](mailto:adv13-dgtr@gov.in). It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

23. The known producers/exporters in the subject countries, the government of the subject countries through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

24. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.

25. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

26. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

#### **K. Time Limit**

27. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email address [dd11-dgtr@gov.in](mailto:dd11-dgtr@gov.in) and [ddl6-dgtr@gov.in](mailto:ddl6-dgtr@gov.in) with a copy to [adg14-dgtr@gov.in](mailto:adg14-dgtr@gov.in) and [adv13-dgtr@gov.in](mailto:adv13-dgtr@gov.in) within 30 days from the date on which the non-confidential version of the documents filed by the domestic industry would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.

28. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.

29. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

#### **L. Submission of Information on Confidential Basis**

30. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.

31. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non-confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

32. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

33. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.



34. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

35. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents as indicated in paragraph 27 of this initiation notification.

36. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

37. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

38. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

39. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

#### **M. Non-Cooperation**

40. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority